



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं.: NCST/ATY-2854/HR/3/2025-RU-IV

दिनांक :22.10.2025

सेवा मे

सुश्री अनामिका कोरवा,
पुत्री श्री राजेन्द्र कोरवा,
निवासीमाझगांव -, थानाडुमरी-
जिला(झारखंड) गुमला-
Mobile No:8750718191

विषय: बलात्कार एवं शारीरिक प्रताड़ना के संबंध में शिकायत अनामिका कोरवा सुश्री -, पुत्री श्री राजेन्द्र कोरवा, निवासीमाझगांव -, थानाडुमरी-, जिला का दिनांक (झारखंड) गुमला-10.07.2025 का पत्र ।

महोदया,

मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि डॉ आशा लकडा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आपके प्रकरण में दिनांक **31.10.2025 समय 11.40 Hrs** राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के मुख्यालय, छठा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में सिटिंग निश्चित की है, जिसमें सम्बंधित अधिकारियों तथा आपके साथ विचार विमर्श किया जायेगा।

आपसे निवेदन है कि उपरोक्त तिथि एवं समय की सिटिंग में आयोग में उपस्थित हों।

भवदीय


(चेतन कुमार शर्मा/Chetan Kumar Sharma)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading